

MR. CHAIRMAN: I ask the hon. Members to sit down please...*(Interruptions)*...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, माफी मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप लोग राष्ट्र से माफी मांगिए...*(व्यवधान)*...

डा. वी. मैत्रेयन: आप देश से माफी मांगिए...*(व्यवधान)*....

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned for 15 minutes.

The House then adjourned at sixteen minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at thirty-one minutes past twelve of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

Re. Point of order

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... Sir, I have a point of order. Please allow me to raise it. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Sir, he cannot raise a point of order in the Zero Hour. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I have got the Rule Book. I want to read it for you. ...*(Interruptions)*... I want to read it out from the Rule Book for you. Please allow me. ...*(Interruptions)*... I have a point of order, and I have got the Rule Book. ...*(Interruptions)*... I want to quote the rule. ...*(Interruptions)*... I will also go by the rules. ...*(Interruptions)*... Let me read the rule first. ...*(Interruptions)*... Let me read the rule for you, Sir. ...*(Interruptions)*... I have no objection; let him speak. But you should, at least, know what is the rule. ...*(Interruptions)*... At least, let me read out the rule. ...*(Interruptions)*... What he is saying is against the rules. Please allow me ...*(Interruptions)*... I have a point of order, Sir. ...*(Interruptions)*... I have a point of order and I want to explain what is my point of order. Please allow me to raise it. ...*(Interruptions)*... Please allow me to raise my point of order. ...*(Interruptions)*... Point of order gets precedence over any other speaker. ...*(Interruptions)*... I want to make this point...*(Interruptions)*... At least, please listen to it before you give a ruling on this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If it is not in the Rule Book, it will be ruled out. ...*(Interruptions)*... Let us simply hear...*(Interruptions)*... Let us simply hear this point. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, he is raising a point of disorder. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I want to raise a point of order. I want to have a ruling on that. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, it is against the rules of this House. He cannot raise it. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, please allow me to raise my point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, he cannot raise a point of order during the Zero Hour.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Zero Hour or no Zero Hour; any point of order can be raised, and I want to raise that issue right now. *...(Interruptions)...* You can say, I am out of order; my point is not properly made, but let me raise *...(Interruptions)...* Please allow me to raise my point of order. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Could you please listen to me? *...(Interruptions)...* May I request you to give me a minute to say my piece? *...(Interruptions)...*

SHRI YASHWANT SINHA: He should not speak.

MR. CHAIRMAN: No, no; it is all right. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Let me say the point, please. *...(Interruptions)...*

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Let me raise a point of order, Sir. *...(Interruptions)...*

डा. वी. मैत्रेयन: जब प्रधान मंत्री बात करेंगे, तब हम बोलेंगे *...(व्यवधान)...* जब प्रधानमंत्री खड़े होंगे, तब हम बोलेंगे *...(व्यवधान)...*

SHRI SANTOSH BAGRODIA: You have to listen to my point of order *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. *...(Interruptions)...* Hon. Members may please sit down; all of you; everyone. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...*

SHRI SANTOSH BAGRODIA: This is against the rule. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. *...(Interruptions)...* Hon. Members, I am aware *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...*

DR. V. MAITREYAN: Sir, we will also raise a point of order when the P.M. speaks. *...(Interruptions)...* We will interrupt him. *...(Interruptions)...* We will not allow this...*...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am aware of the *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* I am aware of the rule which is sought to be invoked. If it has been infringed, the Chair will look into it and take appropriate steps. The hon. Leader of the Opposition may kindly proceed. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...*

SHRI SANTOSH BAGRODIA: We have right to express. *...(Interruptions)...*

SHRI YASHWANT SINHA: He is disrupting. *...(Interruptions)...* He has no right to do that. *...(Interruptions)...*

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, *...(व्यवधान)...*

श्री कलराज मिश्र: सर, Leader of the Opposition को बोलने दीजिए *...(व्यवधान)...*

MR. CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* Hon. Members, please kindly sit down. *...(Interruptions)...*

एक माननीय सदस्य: श्रीमान्, यह बात आपकी रूलिंग के खिलाफ की जा रही है *...(व्यवधान)...* सर, यह बात आपकी रूलिंग के खिलाफ की जा रही है *...(व्यवधान)...*

MR. CHAIRMAN: The Chair has given a ruling. Please leave it to the Chair. If an unparliamentary expression has been used, appropriate action on that will be taken. ...*(Interruptions)*....

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Let me, at least, speak on the point of order. ...*(Interruptions)*... Let me speak on the point of order. ...*(Interruptions)*...

डा. वी. मैत्रेयन: सर, यह क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*...

PROF. P. J. KURIEN (Kerala): Sir, the hon. Member is raising a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No. I am suggesting to the hon. Member that I am aware of the concern that he wishes to raise and that if unparliamentary expressions have been used, the Chair will take corrective action on that. Now, on the basis of that ...*(Interruptions)*....

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Not that alone. ...*(Interruptions)*... I want to raise a point of order. ...*(Interruptions)*... Please allow me. ...*(Interruptions)*...

PROF. P. J. KURIEN: Sir, your ruling is okay. ...*(Interruptions)*... However, if an hon. Member is raising a point of order, he has a right to do so and you give a ruling. ...*(Interruptions)*... So, please allow the Member to raise his point of order. ...*(Interruptions)*... Please allow the Member to raise his point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: May I ...*(Interruptions)*...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सभापति महोदय, आपने जो रूलिंग दी है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आपका ध्यान रूलिंग 151, Rulings and Observations from the Chair, की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह है कि, when allegations were made against the Prime Minister, "As the allegation has gone on record, I consider it fair that the refutation should also be on the record". अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई ऐसी बात है...*(व्यवधान)*... रूलिंग 151, ...*(व्यवधान)*... यदि कोई ऐसी बात है, जिसको ये substantiate नहीं कर सकते, तो उसका खंडन भी ऑन रिकॉर्ड जाना चाहिए। यह मेरा आपसे humble submission है। प्रधान मंत्री जी से सम्बन्धित जो बात सम्मानित सदन के विपक्ष के नेता ने की है, मैं उनका अदब करता हूँ और उसी अदब के साथ मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि या तो उन्होंने जो कहा है, उसको substantiate करें और नहीं तो उसका refutation दें, क्योंकि रूलिंग 151 बड़ा क्लियर है ...*(व्यवधान)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Let me read rule 238(ii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. It says that a Member while speaking shall not make a personal charge against another Member.

डा. वी. मैत्रेयन: सर, यह नहीं बोल सकते ...*(व्यवधान)*... हम उनको बोलने नहीं देंगे ...*(व्यवधान)*... यह नहीं हो सकता, सर ...*(व्यवधान)*... हम यह बिल्कुल नहीं होने देंगे ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

डा. वी. मैत्रेयन: सर, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... I would be compelled to adjourn the House, unless you allow the Chair to speak. I have the rulings before me. Two rulings have been cited. Ruling 151, it is on page 120. ...*(Interruptions)*... Just a minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, you should not entertain it. ...*(Interruptions)*... This is the point that we are making. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just a minute. ...*(Interruptions)*... It is for this reason ...*(Interruptions)*...

SHRI VIKRAM VERMA (Madhya Pradesh): You have already given your ruling. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: ... that the matter will be looked into. If unparliamentary expressions have been used, they will be expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this has never happened in this House. You cannot entertain...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN SHOURIE (Uttar Pradesh): Sir, you have already given your ruling. ...*(Interruptions)*....

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, after giving the ruling, you cannot entertain ...*(Interruptions)*...any complaints against your ruling. Your ruling is final. ...*(Interruptions)*... Sir, your ruling is final.

(श्री सुरेश पचौरी): यह भी कभी नहीं हुआ कि चेयरमैन को बोला गया हो कि आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... यह भी कभी नहीं हुआ कि चेयरमैन को कहा गया कि आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the Treasury Benches are not interested in ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am afraid the House has to be adjourned for another, ten minutes. The House is adjourned for ten minutes.

The House then adjourned at forty-one minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at fifty-two minutes past twelve of the clock. Mr. Deputy Chairman in the Chair.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I wanted to raise a point of order which may be allowed...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, नेता प्रतिपक्ष को बुलवाइए और हाऊस चलाइए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am on a point of order...*(Interruptions)* My point of order is...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me listen...*(Interruptions)*... क्या है पाइंट ऑफ ऑर्डर आपका? ...*(व्यवधान)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, Rule 238 says,...(Interruptions)...

डा. वी. मैत्रेयन: There is no point of order. किताब दिखाने से नहीं होता, सर।
...(व्यवधान)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: It says, "A Member, while speaking, shall not make a personal charge against a Member..."(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have seen the Rule...(Interruptions)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Let me speak on my point of order
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have brought the Rule to my notice..
...(Interruptions).... Dr. Maitreyan, let me listen...(Interruptions).... If I listen to you,
it is all right. But if I listen to him, then, it is not all right...(Interruptions).... That will
not go on record...(Interruptions).... आप बैठिए। ...(व्यवधान).... That will no go on
record...(Interruptions)....

श्री एस.एस. अहलुवालिया: चेयरमैन साहब ने डिजीजन दे दिया है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: Please sit down. ...(व्यवधान).... I would like to point ou
...(Interruptions)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं-नहीं, साहब। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा: सर, चेयरमैन साहब के कहने के बाद दुबारा ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान).... मैं वही बता रहा हूँ।...(व्यवधान).... प्लीज
बैठिए। ...(व्यवधान).... मिस्टर यशवंत सिन्हा जी, चेयर को भी कुछ बोलने देंगे या नहीं?
...(व्यवधान).... Mr. Ahluwaliaji, I am seeking some...(Interruptions).... This is not
correct, Mr. Yashwant Sinhaji. ...(Interruptions).... Please take your seats.
...(Interruptions).... See, like you are raising an issue, he has also raised an issue.
...(Interruptions)....

श्री एस.एस. अहलुवालिया: हाऊस ऐडजॉर्न होने से पहले चेयरमैन साहब ने रूलिंग
दी थी, क्या चेयरमैन साहब की रूलिंग के बाद भी ...(व्यवधान)...

DR. V. MAITREYAN: He cannot raise a point of order. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me go by the rules. ...(Interruptions).... आप बैठिए
न। ...(व्यवधान).... Mr. Bagrodiaji, the point of order one raises has an effect of
suspending the proceedings before the House. ...(Interruptions).... It can be raised
only in relation to the Business before the House, at the moment. ...(Interruptions)....
Listen; listen. Let me read it. ...(Interruptions).... Let me read it. Have the patience.
Please, let me read it. The term "Business before the House" which has also been
defined; means Business included in the List of Business for the Day. But a point
of order cannot be raised in respect of an item of Business after that item has been
disposed of. What do you see? It is not a Business of the House, Zero Hour
...(Interruptions).... Please, please. I am giving an opportunity to listen.
...(Interruptions).... Yes; yes. Do you want to say anything on this?

...(Interruptions)... Because this is very clear. Whether the Business of the House, Zero Hour...(Interruptions)... Let me complete it. ...(Interruptions)...

श्री यशवंत सिन्हा: आप इनको क्यों सुन रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपको भी सुन रहा हूँ? ...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: आपने एक बार रूलिंग दे दी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने अभी रूलिंग नहीं दी। ...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: ये बार-बार खड़े होंगे, बार-बार एक विषय चलता रहेगा। ...(व्यवधान).... मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि लीडर आफ दि अपोजीशन को नहीं बोलने दे रहे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए, यह सही नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: चेयरमैन साहब ने रूलिंग दे दी है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप उठकर खड़े हो जाते हैं, तो वे भी उठकर खड़े हो जाते हैं, मुझे उनको भी सुनना पड़ता है। ...(व्यवधान).... चेयर को तो दोनों को सुनना पड़ता है। ...(व्यवधान).... When there is a disturbance, ...(Interruptions)... I am prepared to listen to him. ...(Interruptions)... I have called him. ...(Interruptions)... It is not a Business of the House. On that, he wants to say something. ...(Interruptions)...

डा. वी. मैत्रेयन: लीडर आफ दि अपोजीशन को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है। ...(व्यवधान)...

SHRI YASHWANT SINHA: The whole purpose is to disturb the Leader of the Opposition. That is the whole point ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: बिजनेस आफ दि हाऊस नहीं है। ...(व्यवधान)...

डा. वी. मैत्रेयन: हम भी प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करेंगे, आपको अलाऊ करना पड़ेगा ...(व्यवधान).... उपसभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बिजनेस आफ दि हाऊस नहीं है। ...(व्यवधान).... Is it a Business of the House? ...(Interruptions)...

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति महोदय, प्रश्न केवल प्वाइंट आफ आर्डर का नहीं है, प्रश्न यह है कि समय-समय पर क्या निर्देशन दिया गया है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है।

श्री सुरेश पचौरी: आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि समय-समय पर क्या निर्देशन दिया गया है और अगर सदन में दिए गए निर्देशन का पालन, जो विषय उठाए जा रहे हैं, वे सदन की कार्यवाही में आ जाते हैं, तो वे सदन के रूल और परम्परा से चलते हैं। ...(व्यवधान).... रूल 151 और 158 बड़ा क्लीअर है। 158 यह है कि जो भी सदन में प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है, वह allegation है, उसका पहले prior notice दिया जाता है, जो 158 में कहा गया है कि "Prior notice to be given to the Member against whom an allegation is made". 151 बड़ा क्लीअर है कि "Allegations made against the Prime Minister as also its refutation to go on record."

दूसरी बात यह है कि अगर allegation किया जा रहा है तो उसे substantiate किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... प्रश्न रूलिंग का नहीं है, Kaul and Shakhder के पेज 918 में इस बात का उल्लेख किया गया है, "A notice relating to an allegation based on newspaper reports is not allowed unless the Member tabling it gives the Speaker substantial proof that the allegation has some factual basis." ...**(व्यवधान)**... अगर सदन के माननीय विपक्ष के नेता इसको substantiate नहीं कर सकते तो यह प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं हो सकता। दूसरे, ये allegation लगा रहे हैं, उन्हें पहले नोटिस देना होगा, यह मेरा आपको सन्निधान है।

श्री उपसभापति: यशवंत सिन्हा जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा: सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके आसन ग्रहण करने से पहले चेयरमैन साहब ने उस प्वाइंट आफ आर्डर को, जो उस समय रोज़ नहीं होना था, उसके बावजूद उन्होंने एक रूलिंग दी। उसके बाद भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वे लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं, हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज, सुनिए। सुनिए, सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संतोष बागड़ोदिया: आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बागड़ोदिया जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री यशवंत सिन्हा: मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि सदन की कार्यवाही चले ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप विषय पर आइए ...**(व्यवधान)**...

श्री यशवंत सिन्हा: इसीलिए ये किसी न किसी बहाने से विपक्ष के नेता को इस सदन में नहीं बोलने देना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair will give an opportunity...**(Interruptions)**... आप यह बोलिए ...**(व्यवधान)**...

श्री यशवंत सिन्हा: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी ruling हो गई, अब इस बात को समाप्त कीजिए और Leader of Opposition को बुलाइए कि वे अपनी बात कहें, आप बुलाइए Leader of Opposition को ...**(व्यवधान)**... आप Leader of Opposition को बुलाइए और उनकी बात सुनें ...**(व्यवधान)**... इनको सुनना पड़ेगा उनकी बात को ...**(व्यवधान)**... आप बुलाइए उनको ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Member is saying that there is an allegation. Whether it is the Zero Hour or any other, the Chair should listen. The hon. Member and the Minister of State for Parliamentary Affairs are saying that there is a certain allegation. Should the Chair not listen to that? ...**(Interruptions)**... Each Member has the right to express his own view and a view has come that there is an allegation. Now, let us listen. ...**(Interruptions)**... You see, you have the right to point out and they have the right to point out. Now, it has been said that ...**(Interruptions)**... I have to find out, I agree with you. **(Interruptions)** How do I find out unless I hear? ...**(Interruptions)**...

श्री यशवंत सिन्हा: They are stopping the Leader of the Opposition from speaking. Ask them not to interrupt. आप उनको कहिए कि Leader of Opposition को बाधित न करें। ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: मैं आपको भी कह नहीं सकता, उनको भी कह नहीं सकता, दोनों भिड़ जाते हैं, क्या करें? अगर आप चेयर की बात सुनें, तो हम कुछ करेंगे ...*(व्यवधान)*... The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned at two minutes past one of the clock.

The House reassembled at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Legislative Business. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: He should withdraw his allegation. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: देखिए, जीरो ऑवर कब तक चलाएंगे? ...*(व्यवधान)*... हम जीरो ऑवर कब तक चलाएंगे? ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, सवाल जीरो ऑवर का नहीं है। ...*(व्यवधान)*... सर, शुक्रवार से ...*(व्यवधान)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: He has to withdraw his allegation first. ...*(Interruptions)*... He cannot be allowed to speak. ...*(Interruptions)*... He cannot make an allegation like this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let your Leader speak. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, बुधवार से हम ...*(व्यवधान)*... एक मिनट... सर, बुधवार से यह विषय नेता प्रतिपक्ष उठाना चाह रहे हैं। बुधवार को नोटिस दिया, बृहस्पतिवार को नोटिस दिया, शुक्रवार को यह कहा गया कि आप बोलेंगे। शुक्रवार को सत्ताधारी बेंचों ने दो-दो बार ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: इस हाउस में जो-जो हुआ, आप उसकी witness हैं। ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, ढाई बजे तो शुक्रवार को प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस था, तब तो जीरो ऑवर नहीं था, तब इन्होंने क्यों इस तरह से किया? ...*(व्यवधान)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: They are wasting the time of the House. ...*(Interruptions)*... The allegation should be withdrawn.

श्री उपसभापति: नहीं, अब जो है, अब जीरो ऑवर का ...*(व्यवधान)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Zero Hour does not mean free for all and make any allegation against the Prime Minister or any Minister. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, ये सुनने नहीं देते हैं कम से कम! ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, शुक्रवार को तो ढाई बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस था, तब भी सत्ता पक्ष ने रोका।

श्री उपसभापति: वह तो हो गया। आज बोलिए, आज ज़ीरो ऑवर में disturbance हुआ, अब क्या करेंगे? क्या ज़ीरो ऑवर कंटीन्यू करेंगे? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, यह सवाल ज़ीरो ऑवर का नहीं है। एक महत्वपूर्ण विषय नेता प्रतिपक्ष उठाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: सर, ज़ीरो ऑवर का कोई समय है क्या?

श्री उपसभापति: मैं भी वही कह रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मेरी बात सुने बिना आपने उन्हें बुला लिया। सर, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप उन्हें बुलाएं। मैं यह कह रही हूँ कि सवाल ज़ीरो ऑवर का नहीं है, सवाल नेता प्रतिपक्ष के बोलने का है। नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाह रहे हैं।

श्री उपसभापति: ज़ीरो ऑवर का नोटिस था। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, शुक्रवार को ढाई बजे ज़ीरो ऑवर था क्या? ...(व्यवधान).... शुक्रवार को ढाई बजे ज़ीरो ऑवर था क्या? ...(व्यवधान)....सर, जब सत्ताधारी बैठें उठें और बोलें...(व्यवधान).... जब सत्ताधारी पक्ष हंगामा करे और रोके, तब तो ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: सत्ताधारी पक्ष करे या आप करें, दोनों करते हैं।...(व्यवधान).... एक मिनट...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ बोलना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैंने इतना ही कहा कि ज़ीरो ऑवर कब तक ले जाएंगे हम? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, सवाल ज़ीरो ऑवर को ले जाने का नहीं है, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। ...(व्यवधान)...

डा. वी. मैत्रेयन: सर, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, आप बैठिए मैत्रेयन जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान).... मैं आपको बुलाऊंगा आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ज़ीरो ऑवर को कब तक ले जाएंगे? मैं कह रही हूँ कि शुक्रवार को ज़ीरो ऑवर ढाई बजे के ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: शुक्रवार को छोड़िए, आज का बोलिए ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति महोदय, प्रश्न इस बात का नहीं है कि ज़ीरो ऑवर में बोलने दिया जाए या न बोलने दिया जाए। प्रश्न इस बात का है, proceedings

मेरे हाथ में है कि "...that those who oppose this agreement are, I am sorry to use the word, are * ...*(Interruptions)*... Sir, this is the copy of the proceedings. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप क्या पढ़ रहे हैं?...*(व्यवधान)*...

श्री सुरेश पचौरी: यह बोलने से पहले...*(व्यवधान)*... यह ऐलीगेशन है। यह बोलने से पहले क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया?...*(व्यवधान)*...और अगर कोई नोटिस नहीं दिया तो...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप जाइए यहां से।...*(व्यवधान)*... यह कोई डेमोक्रेसी बचाने का तरीका है?...*(व्यवधान)*... आप यहां आकर डेमोक्रेसी को ...*(व्यवधान)*... आप जाइए। आप जाइए यहां से।...*(व्यवधान)*...ज़ीरो ऑवर में कब तक बोलेंगे? ...*(व्यवधान)*...आप जाइए यहां से।...*(व्यवधान)*...

श्री सुरेश पचौरी: क्या वे रूल्स ...*(व्यवधान)*... अगर नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...नेता विपक्ष को यह शोभा नहीं देता।...*(व्यवधान)*...

डा. वी. मैत्रेयन: अगर वे ऐसे ही बोलेंगे तो हम प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बोलने देंगे।...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप लोग यहां से जाइए...*(व्यवधान)*...

श्री सुरेश पचौरी: ज़ीरो ऑवर में कब तक बोलेंगे? विपक्ष के नेता को यह शोभा नहीं देता।...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: ज़ीरो ऑवर में कब तक बोलेंगे?...*(व्यवधान)*...आप जाइए। ...*(व्यवधान)*...अहलुवालिया जी...*(व्यवधान)*... आप बैठ, जाइए।...*(व्यवधान)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, he has to withdraw the allegation. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेश पचौरी: This is the copy of the proceedings. प्रोसीडिंग्स देखने के बाद ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप जाइए यहां से। ...*(व्यवधान)*...आप धमकी मत दीजिए।...*(व्यवधान)*... आप लोग जाकर बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*...

श्री सुरेश पचौरी: आप प्रोसीडिंग्स की कॉपी देख लीजिए।...*(व्यवधान)*... सर, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*... अगर यह आपत्तिजनक है तो सदन की कार्यवाही से इसको विलोपित किया जाए और रूल्स के हिसाब से जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था की जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।...*(व्यवधान)*...

डा. वी. मैत्रेयन: ऐसे ही बोलेंगे तो हम प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बोलने देंगे। ...*(व्यवधान)*...

श्री विक्रम वर्मा: ये किस तरह से ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*...आप बैठिए प्लीज़।

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Sir, I also want to speak afterwards.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jothi, everybody wants to speak. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI N. JOTHI: Government is not ready...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. When I am on my legs you cannot speak. सवाल यह है कि ज़ीरो ऑवर नोटिसेज दिए जाते हैं। यह पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि ज़ीरो ऑवर का नोटिस दिया और किसी को बोलने की opportunity नहीं दी गयी या हाउस में डिसटर्बेंस हो गया। उसके बाद वह ज़ीरो ऑवर कॉन्टीन्यू होता हो, यह कभी नहीं हुआ। अगर हुआ है तो प्वाइंट आउट कीजिए। यह कभी नहीं हुआ। लीडर ऑफ ऑपोज़िशन को ज़ीरो ऑवर में बुलाया गया था, उनको बोलने नहीं दिया गया, डिसटर्बेंस हुआ। हाउस एक से तीन मर्तबा ऐडजर्न भी हुआ। उसके बावजूद भी opportunity दी जाती है, Thursday से यह चल रहा है। ...*(व्यवधान)*... आप रुकिए। सवाल आज यह है कि सुबह जब ज़ीरो ऑवर की बात हुई, लीडर ऑफ ऑपोज़िशन ने अपनी बात कहनी चाही तो वहां कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें आयीं जो प्वाइंट आउट की गयीं। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में प्वाइंट आउट किया गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप ऑब्जेक्शनेबल मत कहिए, सो-कॉल्ड ऑब्जेक्शनेबल कहिए।

श्री उपसभापति: मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा, ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया। ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... उस वक्त सवाल यही उठा कि प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर यह रेज़ किया जा सकता है या नहीं। लेकिन रूल्स में बताया गया कि इसमें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं आ सकता। It is not listed business. आज सवाल यह है कि now, the hon. Parliamentary Affairs Minister said that some objectionable words were used by the Leader of the Opposition and that has to be substantiated and if it 'is not substantiated, it is an allegation. Now, the Chair has to examine whether it is an allegation or not. If it is an allegation, Rule 238 (a) and the ruling has to be observed.' So, this is what I am placing before the House. First of all, the Chair has to decide what has been said by the Leader of the Opposition is an allegation. If it is an allegation...

श्री नारायण सिंह केसरी (मध्य प्रदेश): नेता प्रतिपक्ष का अधिकार तो है ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: ...then, 'Rule 238(a) and the Rulings 151 and 158 have to be observed, because that is the rule. Now, the question is, we have to examine, what the Leader of the Opposition has said forms an allegation.

SHRI SURESH PACHOURI: It is a part of the proceedings.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): सर, आप भी हमारी बात सुनिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप ही हाथ दिखाएंगे, हम लोगों को भी ऐसे ही हाथ दिखाना आता है। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: मैं हाथ कहां दिखा रहा हूँ। जनेश्वर मिश्र जी, बिठाने के लिए तो दिखाना ही पड़ता है। आप इतने सीनियर मेंबर हैं आपने ऑब्जेक्शन लिया है। तो मैं हाथ बांध कर तो आपको...*(व्यवधान)*...

श्री जनेश्वर मिश्र: लेकिन एलीगेशन, नॉन एलीगेशन जो कुछ भी आया, आपको यह क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष को आप कंटीन्यू करने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं।... (व्यवधान)...

DR. V. MAITREYAN: No question on Zero Hour... (Interruptions)...

श्री उपसभापति: अगर हाउस डिसाइड करती है, if it is the sense of the House that it should be decided... (Interruptions)... मुझे कुछ तकलीफ नहीं है एलाउ करूं या नहीं करूं। सवाल यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष बात करना चाहते हैं और अगर हाउस ने डिसाइड किया है तो करेंगे, मगर यह रूल एप्लाइ करना पड़ेगा। ... (व्यवधान) ... No, no. Let it be examined whether it constitutes an allegation or not. The House is adjourned for fifteen minutes.

The House then adjourned at twelve minutes past two of the clock

The House reassembled at twenty-six minutes
past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, नेता प्रतिपक्ष को बुलवाइये। ... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have examined... (Interruptions)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: क्या एकजामिन किया? ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: क्या एकजामिन किया, जो मैं ... (व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, आपने क्या एकजामिन किया? ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए, अहलुवालिया जी, आप प्लीज ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए। ... (व्यवधान) ... आप ऐसा क्वेश्चन मत करिए। ... (व्यवधान) ... There was an allegation. Before adjourning the House, I had said that whether the statement made by the Leader of the Opposition contained those words which led to certain allegation. That was to be examined ... (Interruptions) ... That has been examined. ... (Interruption) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, हमने कहा था कि प्रोसिडिंग की कापी हमको दिखा दीजिए। ... (व्यवधान) ... Have you shown the copy of the proceedings to him? ... (Interruptions) ... No; no. ... (Interruptions) ... Have you shown it to him ... (Interruptions) ...

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार): सर, ... (व्यवधान) ... उपसभापति जी, वह चेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, when I adjourned the House ... (Interruptions) ... I said that that has to be examined. ... (Interruptions) ... We have examined it. ... (Interruptions) ... Do you want, me to speak? ... (Interruptions) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, आप हमें प्रोसिडिंग की कापी दे दीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: यह जरूरी नहीं है कि मैं प्रोसिडिंग की कापी आपको दूं। ... (व्यवधान) ... I have to examine it. ... (Interruptions) ... It is for you to take a copy

of the proceedings. ...*(Interruptions)*... Show me the rule. I will follow the rule. ...*(Interruptions)*..., Show me the rule where I have to give you a copy of the proceedings. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, ऐसा कभी नहीं होता कि हाउस Adjourn हो और प्रेजाइडिंग आफिसर और ट्रेजरी बैंच के लोग अंदर बैठे हों और बाहर आकर रूलिंग दे दी जाए। ...*(व्यवधान)*... और उसमें विपक्ष को पूछा ही न जाये, हमसे चर्चा ही न की जाये। ...*(व्यवधान)*...

प्रो. राम देव भंडारी: उपसभापति महोदय, ये नहीं चाहते हैं कि बाढ़ पर चर्चा हो। ...*(व्यवधान)*...

एक माननीय सदस्य: सर, यह परम्परा गलत है। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: क्या परम्परा गलत है, आप मुझे बताइये, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ...*(व्यवधान)*... क्या परम्परा गलत है। ...*(व्यवधान)*... मैंने कहा था कि, I will examine it, क्या यह परम्परा गलत है! आप बताइये। क्या मैं एकजामिन नहीं कर सकता हूँ। ...*(व्यवधान)*... Can't the Chair examine? ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: चेयर के रूप में ओवर रूल नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप जो कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप अपनी सीट पर जाइये। ...*(व्यवधान)*... आप जाइये। ...*(व्यवधान)*... कौन आए हैं? कहाँ आए हैं? ...*(व्यवधान)*... पिछले दिनों की नहीं, अब की बात करो। ...*(व्यवधान)*... आप वापस जाइये। ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आपने खुद ही रूलिंग दी। ...*(व्यवधान)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आपने प्रोसिडिंग दिखाई। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: मैं क्यों दिखाऊँ...*(व्यवधान)*... आप बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*... आप वहाँ जाकर बोलिए। ...*(व्यवधान)*...रिकार्ड पर कुछ नहीं जायेगा। ...*(व्यवधान)*... आप वहाँ पर जाइये। ...*(व्यवधान)*... आप जाइये। ...*(व्यवधान)*...

श्री यशवंत सिन्हा: *

श्री कलराज मिश्र: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't know what is ...*(Interruptions)*... The House is adjourned till tomorrow to meet at 11.00 A.M. ...*(Interruptions)*...

The House then adjourned at thirty-one minutes past two of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 21st August, 2007.